संख्या-207/2022/181रासनि/23-1-2022/001-39आरएसएन/2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 13 अगस्त, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के कुल 20 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु लैप्स धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-778सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2022-23, दिनांक 29.06.2022, पत्र संख्या-779सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2022-23, दिनांक 29.06.2022, पत्र संख्या-786सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2022-23, दिनांक 29.06.2022 एवं पत्र संख्या-962सी/191सी/रासनि(3054-मांग) मूल/2022-23, दिनांक 26.07.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 20 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु लैप्स धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 7,68,68,000/- (रूपये सात करोड़ अड़सठ लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	जनपद	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	मूल स्वीकृति का संदर्भ (शासनादेश संख्या जिसके द्वारा स्वीकृत धनराशि लैप्स हुई)	वर्ष 2021-22 में लैप्स धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नि0खं0 कौशाम्बी	टेंवा पश्चिम शरीरा का विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्य (आई0आर0क्यू0पी0) एवं किमी 2 (चैनेज 1.100 व 1.1800) में पुलिया निर्माण कार्य	565.99	87/2022/35रासनि/23-1-22-04रासनि/ 21, दि0 30.03.2022	44.70	44.70
2	प्रा0खं0 बाराबंकी	तीरगांव शरीफाबाद सतरिख बंकी तिदोला बेंहटा मार्ग के किमी 9(250) एवं 10 में विशेष मरम्मत का कार्य।	98.84	87/2022/35रासनि/23-1-22-04रासनि/ 21, दि0 30.03.2022	21.91	21.91
3	प्रा0खं0 बाराबंकी	बाराबंकी हैदरगढ़ बछरावां मार्ग (राज्य मार्ग सं-13) के किमी-97 (250) से 113 में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	430.33	87/2022/35रासनि/23-1-22-04रासनि/ 21, दि0 30.03.2022	62.55	62.55
4	नि0खं0-3 बाराबंकी	वि0खं0-सूरतगंज में झंझरा छेदा टऊआ सूरतगंज (अ0जि0मा0) मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। कि0मी0-8 (600), 9, 10, 11, 12 (700)	51.83	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/ 20, दि0 30.03.2022	13.89	13.89

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र.	जनपद	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	मूल स्वीकृति का संदर्भ (शासनादेश संख्या जिसके द्वारा स्वीकृत धनराशि लैप्स हुई)	वर्ष 2021-22 में लैप्स धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
5	नि0खं0-3 बाराबंकी	वि0खं0 देवा में तीरगांव शरीफाबाद सतरिख बंकी तिन्दोला सिदवाही बेहटा (अजिमा) के किमी 23 (800), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (120), 33, 34 एवं 35 तक आई0आर0क्यू0 पी0 योजना के अन्तर्गत सतह सुधार का कार्य।	491.65	87/2022/35रासनि/23-1-22-04रासनि/ 21, दि0 30.03.2022	49.16	49.16
6	प्रा0खं0 अलीगढ़	अमृतपुर से इम्हलहरा व नगला बंजारा मार्ग की मरम्मत का कार्य	85.17	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/20, दि0 30.03.2022	12.03	12.03
7	प्रा0खं0 अलीगढ़	कटरा बरौली मार्ग (ओ0डी0आर0) के किमी0 1 से 5.7 से 10 व 11(500) की मरम्मत का कार्य	206.54	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/20, दि0 30.03.2022	30.98	30.98
8	प्रा0खं0 अलीगढ़	जी0टी0 मार्ग से मढौला मार्ग की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	51.25	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/20, दि0 30.03.2022	11.57	11.57
9	प्रा0खं0 अलीगढ़	गिरधरपुर व पहावटी से जी0टी0 रोड तक मार्ग की मरम्मत का कार्य	48.50	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/ 20, दि0 30.03.2022	7.27	7.27
10	प्रा0खं0 अलीगढ़	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत एन0एच0-91 से पैराई मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य ।	54.72	87/2022/35रासनि/23-1-22-04रासनि/ 21, दि0 30.03.2022	27.36	27.36
11	प्रा0खं0 हाथरस	राया सादाबाद मार्ग	263.39	87/2022/35रासनि/23-1-22-04रासनि/ 21, दि0 30.03.2022	21.76	21.76
12	प्रा0खं0 हाथरस	पी0बी0 मार्ग लोधीपुर पट्टी देवरी किमी0-1 में आबादी भाग नगला विजन पर सी0सी0 एवं नाली निर्माण का कार्य	52.75	87/2022/35रासनि/23-1-22-04रासनि/ 21, दि0 30.03.2022	21.09	21.09
13	प्रा0खं0 हाथरस	जनपद हाथरस के शहरी भाग (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-93) में सिंचाई विभाग की हाथरस एवं समानान्तरण हाथरस ब्रांच नहरों पर पूर्व की पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य	302.14	87/2022/35रासनि/23-1-22-04रासनि/ 21, दि0 30.03.2022	119.85	119.85
14	प्रा0खं0 हाथरस	सादाबाद जलेसर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग सं0-106) कि0मी0 2 से 7	159.07	87/2022/35रासनि/23-1-22-04रासनि/ 21, दि0 30.03.2022	7.96	7.96
15	प्रा0खं0 हाथरस	सासनी जलेसर मार्ग (कैलोरा बरवाना भाग अन्य जिला मार्ग) पर पैच मरम्मत का कार्य	108.25	87/2022/35रासनि/23-1-22-04रासनि/ 21, दि0 30.03.2022	43.30	43.30
16	प्रा0खं0 कासगंज	कासगंज अमापुर सिढ़पुरा पटियाली मार्ग के किमी 1 से 16 (280) तक सतह सुधार का कार्य।	1160.80	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/ 20, दि0 30.03.2022	205.28	205.28
17	प्रा0खं0 कासगंज	अमापुर जारई विकौरा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	57.98	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/ 20, दि0 30.03.2022	14.50	14.50
18	प्रा0खं0 कासगंज	सहावर मार्ग से गजडुण्डवारा कादरगंज मार्ग तक बाईपास (बम्बा पटरी) मार्ग की मरम्मत का कार्य	108.91	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/ 20, दि0 30.03.2022	27.00	27.00
19	प्रा0खं0 कासगंज	एटा अमापुर सहावर मार्ग के किमी 27 से जहांगीरपुर मिढौल बुजुर्ग वाया रामनगर नगला बल्देव कल्यानपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	76.48	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/ 20, दि0 30.03.2022	19.12	19.12
20	प्रा0खं0 कासगंज	नमैनी से गोयती मार्ग पर सी0सी0 एवं पी0सी0 का कार्य	73.95	85/2022/39रासनि/23-1-22-44रासनि/ 20, दि0 30.03.2022	7.40	7.40
				कुल योग-	**768.68**	**768.68**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृत/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/ दस-2014-74(4)/75, दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट (सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट(डी0सी0एल0) प्रणाली के अनतर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01.04.2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश विभाग सं0-बी-1-901/ दस-2011- 231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित के प्राप्ति लेखाशीर्षक- "1054-00- 800-05-00-00" में ट्रान्सफर इंट्री डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(5) राज्य सड़क निधि हेतु गठित प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(6) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराया जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(7) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/ 2022, दिनांक 07.06.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 7,68,68,000/- (रूपये सात करोड़ अड़सठ लाख अड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-207/2022/181रासनि(1)/23-1-2022/001-39आरएसएन/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-.नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।